


सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3, फ्लैट नं-304, ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्सी, अलीगढ़-202001, द्वारा 765 के०वी० डबल सर्किट उरई से अलीगढ़ पार्ट-4 पैकेज टी०ई०-04 पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या जी०आई०-100/14-02-2005-61/2006 दिनांक 23.02.2006 तथा भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या एफ०सी०-11-9/98 दिनांक 21.09.2005 के निर्देशों के अनुपालन एवं निम्न प्रतिबन्धों पर सहमति दी जाती है -

1. भूमि के उपयोग के बाद, उसके मूल स्वरूप में लाने का उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3, फ्लैट नं-304, ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्सी, अलीगढ़-202001, का होगा।
2. इस कार्य से वन सम्पदा/पर्यावरण की यदि कोई क्षति होती है तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3, फ्लैट नं-304, ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्सी, अलीगढ़-202001, द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
3. भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा।
4. भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं वन विभाग द्वारा राजकीय हित में लिये गये निर्णय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3, फ्लैट नं-304, ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्सी, अलीगढ़-202001, को स्वीकार होगा।
5. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3, फ्लैट नं-304, ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्सी, अलीगढ़-202001 द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा।
6. समस्त कार्य अनुमति प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर पूर्ण करने होंगे।

दिनांक : 18/11/18

स्थान : अलीगढ़


18/11/18

S. K. Singh
D.G.M.
Powergrid, Aligarh